

भण्डार क्रय अनुभाग
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

पत्रांक : एसपीएस - 179 /2017

दिनांक 21/9 . 2017

मे0

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये कैमिकल्स, ग्लासवेयर, प्लास्टिक वेयर्स, फिल्टर पेपर्स एवं एग्रो कैमिकल्स (कृषि रसायन) क्रय हेतु दर अनुबन्ध के सम्बन्ध में।
महोदय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रयोग के लिए कैमिकल्स, ग्लासवेयर, प्लास्टिक वेयर्स, फिल्टर पेपर्स एवं एग्रो कैमिकल्स (कृषि रसायन) क्रय करने हेतु सम्बन्धित निर्माता इकाइयों से दर अनुबन्ध किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि कैमिकल्स, ग्लासवेयर, प्लास्टिक वेयर्स, फिल्टर पेपर्स एवं एग्रो कैमिकल्स (कृषि रसायन) के अलग-अलग दर अनुबन्ध हेतु निम्नलिखित नियम व शर्तों के अनुसार आफर आवश्यक वांछित प्रपत्रों के साथ दिनांक 17.10.2017 के सांय 4.00 बजे तक डाक/कोरियर द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दर अनुबन्ध हेतु मांगे गये वांछित प्रपत्रों को आफर के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा, प्रपत्रों के अभाव एवं समय सीमा के उपरान्त प्राप्त होने वाले आफर पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। नियम व शर्तों का विवरण निम्नवत् है:-

1. निर्माता इकाई द्वारा प्रिन्टेड निर्धारित मूल्य सूची वर्ष 2017-18 की प्रति देनी आवश्यक होगी।
2. विश्वविद्यालय को दी जाने वाली अधिकतम वांछित छूट (प्रतिशत में) देना आवश्यक होगा।
3. उद्योग विभाग का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. वैध व्यापार कर पंजीकरण एवं अदेयता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निर्माता इकाई से प्राप्त कैमिकल्स, ग्लास वेयर्स, प्लास्टिक वेयर्स, फिल्टर पेपर्स एवं एग्रो कैमिकल्स (कृषि रसायन) की जांच एवं वैरीफिकेशन के उपरान्त बीजक का भुगतान किया जायेगा।
6. निर्माता इकाई द्वारा एक ही अधिकृत विक्रेता विश्वविद्यालय के लिए नियुक्त करना होगा।
7. सामग्री की आपूर्ति, आदेश की दिनांक से 10-15 दिन के अन्दर करना होगा।
8. आपूर्ति सामग्री के ऊपर CSAU 2017-18 की मोहर लगी होनी आवश्यक होगी।
9. सामग्री की आपूर्ति च0शे0आ0 कृषि एवं प्रौ0वि0वि0, कानपुर एवं बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर कृषि इंजीनियरिंग कालेज, इटावा में करने हेतु अतिरिक्त भाड़ा देय न होगा।
10. आयातित कैमिकल्स, ग्लास वेयर्स, प्लास्टिक वेयर्स, फिल्टर पेपर्स एवं एग्रो कैमिकल्स (कृषि रसायन) का आयात सम्बन्धी अधिकृत विक्रेता के लाइसेन्स/प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवश्यक होगी।
11. प्रत्येक निर्माता फर्म अलग-अलग लिफाफे में कैमिकल्स, ग्लास वेयर्स, प्लास्टिक वेयर्स, फिल्टर पेपर्स एवं एग्रो कैमिकल्स (कृषि रसायन) प्रत्येक के अलग-अलग दर अनुबन्ध हेतु प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में अलग-अलग किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से रु0 500/- (रु0 पांच सौ मात्र) का नान रिफण्डेबुल बैंक ड्राफ्ट/डिमाण्ड ड्राफ्ट अर्थ नियंत्रक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के पक्ष में देय हो, को संलग्न करना अनिवार्य होगा।



(श्रीराम यादव)

भण्डार क्रय अधिकारी